



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक/ / अकादमिक/ शोध/ 2022

अम्बिकापुर, दिनांक . . 2022

प्रति,

शशिमा कुजूर

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,

सीतापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

विषय :- समाजशास्त्र विषय में पी-एच.डी. उपाधि के लिये पंजीयन।

सन्दर्भ :- शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) का अध्यादेश क्रमांक 42 के प्रावधानों का पालन करते हुए समाजशास्त्र विषय के शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022 में समाज विज्ञान संकायान्तर्गत समाजशास्त्र विषय में आपका पंजीयन 10.02.2022 से निम्नानुसार किया जाता है-

1. शोध विषय का शीर्षक : जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण में शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव (सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में)
2. शोध निर्देशक : डॉ. मुकुल रंजन गोयल, प्राध्यापक समाजशास्त्र शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. शोध केन्द्र : शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
4. पंजीयन/नामांकन क्रमांक : पी-एच.डी./समाजशास्त्र/2022/ 28

टीप :-

1. आपको विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 42 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा तथा समय समय पर होने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. आपको छः माह के अन्तराल में शोध निर्देश के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में प्रगति प्रतिवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी। निरन्तर दो छःमाही प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये जाने अथवा एक वर्ष की प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शोध पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
3. शोधार्थी को शोधकार्य के दौरान अपने शोध केन्द्र में कम से कम 300 दिवस (प्री.पी-एच. डी. कोर्स वर्क को छोड़कर) की उपस्थिति दर्ज होना आवश्यक होगा।
4. शोधार्थी का शोध कार्य पूर्ण होने के पूर्व 01 शोध पत्र रेफ्रिड रिसर्व जर्नल में प्रकाशित होना तथा कम से कम 02 शोध पत्र नेशनल कान्फ्रेंस/संगोष्ठी में प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने निर्देशक के माध्यम से करना होगा। अपने पत्र में विषय एवं शोध पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
6. शोधार्थी को अपने प्रकाशित होने वाले शोध पत्र में इस विश्वविद्यालय के शोध छात्र होने का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

Sd—
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

क्रमशः 02

पृ. क्रमांक/1024/अकादमिक/शोध/2022

अम्बिकापुर, दिनांक 26.6.2022

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. शोध निर्देशक - डॉ. मुकुल रंजन गोयल, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. प्राचार्य, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) की ओर भेजकर अनुरोध है कि शोधार्थी के संबंध में अध्यादेश प्रावधानों के तहत तिथिवार जानकारियां संकलित रखने की व्यवस्था करें ताकि आवश्यकतानुसार उनको प्राप्त किया जा सके।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
4. कार्यालयीन नस्ती।


82 समन्वयक (पीएच.डी.)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक/ / अकादमिक/ शोध/ 2022

अम्बिकापुर, दिनांक .06.2022

प्रति,

श्री भौठा राम भगत

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

शासकीय महाविद्यालय, बतौली जिला-सरगुजा (छ.ग.)

विषय :- समाजशास्त्र विषय में पी-एच.डी. उपाधि के लिये पंजीयन।

सन्दर्भ :- शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) का अध्यादेश क्रमांक 42 के प्रावधानों का पालन करते हुए समाजशास्त्र विषय के शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022 में समाज विज्ञान संकायान्तर्गत समाजशास्त्र विषय में आपका पंजीयन 10.02.2022 से निम्नानुसार किया जाता है-

1. शोध विषय का शीर्षक : "जनजातीय क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में)
2. शोध निर्देशक : डॉ. मुकुल रंजन गोयल, प्राध्यापक समाजशास्त्र शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. शोध केन्द्र : शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
4. पंजीयन/नामांकन क्रमांक : पी-एच.डी./समाजशास्त्र/2022/ 27

टीप :-

1. आपको विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 42 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा तथा समय समय पर होने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. आपको छः माह के अन्तराल में शोध निर्देश के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में प्रगति प्रतिवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी। निरन्तर दो छःमाही प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये जाने अथवा एक वर्ष की प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शोध पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
3. शोधार्थी को शोधकार्य के दौरान अपने शोध केन्द्र में कम से कम 300 दिवस (प्री.पी-एच.डी. कोर्स वर्क को छोड़कर) की उपस्थिति दर्ज होना आवश्यक होगा।
4. शोधार्थी का शोध कार्य पूर्ण होने के पूर्व 01 शोध पत्र रेफ्रिड रिसर्च जर्नल में प्रकाशित होना तथा कम से कम 02 शोध पत्र नेशनल कान्फ्रेंस/संगोष्ठी में प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने निर्देशक के माध्यम से करना होगा। अपने पत्र में विषय एवं शोध पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
6. शोधार्थी को अपने प्रकाशित होने वाले शोध पत्र में इस विश्वविद्यालय के शोध छात्र होने का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

Sd—
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

क्रमशः 02

पृ. क्रमांक/1022/अकादमिक/शोध/2022


अम्बिकापुर, दिनांक 30.08.2022

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. शोध निर्देशक - डॉ. मुकुल रंजन गोयल, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. प्राचार्य, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) की ओर भेजकर अनुरोध है कि शोधार्थी के संबंध में अध्यादेश प्रावधानों के तहत तिथिवार जानकारियां संकलित रखने की व्यवस्था करें ताकि आवश्यकतानुसार उनको प्राप्त किया जा सके।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

4. कार्यालयीन नस्ती।


समन्वयक (पीएच.डी.)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक / / अकादमिक / शोध / 2022

अम्बिकापुर, दिनांक . .2022

प्रति,

जितेन्द्र कुमार गुप्ता
मेन रोड, बाजारपारा बैकुण्ठपुर
जिला-कोरिया (छ.ग.)

विषय :- समाजशास्त्र विषय में पी-एच.डी. उपाधि के लिये पंजीयन।

सन्दर्भ :- शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) का अध्यादेश क्रमांक 42 के प्रावधानों का पालन करते हुए समाजशास्त्र विषय के शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022 में समाज विज्ञान संकायान्तर्गत समाजशास्त्र विषय में आपका पंजीयन दिनांक 10.02.2022 से निम्नानुसार किया जाता है-

1. शोध विषय का शीर्षक : “दक्षिण पूर्व कोल प्रक्षेत्र मर्यादित की सामाजिक उत्तरदायिता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन” (कोरिया जिले की चिरमिरी प्रक्षेत्र के विशेष संदर्भ में)
2. शोध निर्देशक : डॉ. मुकुल रंजन गोयल, प्राध्यापक समाजशास्त्र शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. शोध केन्द्र : शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
4. पंजीयन/नामांकन क्रमांक : पी-एच.डी./समाजशास्त्र/2022/26

टीप :-

1. आपको विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 42 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा तथा समय समय पर होने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. आपको छः माह के अन्तराल में शोध निर्देश के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में प्रगति प्रतिवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी। निरन्तर दो छःमाही प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये जाने अथवा एक वर्ष की प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शोध पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
3. शोधार्थी को शोधकार्य के दौरान अपने शोध केन्द्र में कम से कम 300 दिवस (प्री.पी-एच.डी. कोर्स वर्क को छोड़कर) की उपस्थिति दर्ज होना आवश्यक होगा।
4. शोधार्थी का शोध कार्य पूर्ण होने के पूर्व 01 शोध पत्र रेफ्रिड रिसर्च जर्नल में प्रकाशित होना तथा कम से कम 02 शोध पत्र नेशनल कान्फ्रेंस/संगोष्ठी में प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने निर्देशक के माध्यम से करना होगा। अपने पत्र में विषय एवं शोध पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
6. शोधार्थी को अपने प्रकाशित होने वाले शोध पत्र में इस विश्वविद्यालय के शोध छात्र होने का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

Sd—
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

क्रमशः 02

पृ. क्रमांक / 10/6 / अकादमिक / शोध / 2022

अम्बिकापुर, दिनांक 30.6.2022

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. शोध निर्देशक - डॉ. मुकुल रंजन गोयल, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. प्राचार्य, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) की ओर भेजकर अनुरोध है कि शोधार्थी के संबंध में अध्यादेश प्रावधानों के तहत तिथिवार जानकारियां संकलित रखने की व्यवस्था करें ताकि आवश्यकतानुसार उनको प्राप्त किया जा सके।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

4. कार्यालयीन नस्ती।



सं. समन्वयक (पीएच.डी.)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक / / अकादमिक / शोध / 2022

अम्बिकापुर, दिनांक . . 2022

प्रति,

हर्ष कुमार पाण्डेय

बी-18, प्रगति विहार, बहराई रोड,
सरकण्डा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- समाजशास्त्र विषय में पी-एच.डी. उपाधि के लिये पंजीयन।

सन्दर्भ :- शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) का अध्यादेश क्रमांक 42 के प्रावधानों का पालन करते हुए समाजशास्त्र विषय के शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 29.04.2022 में समाज विज्ञान संकायान्तर्गत समाजशास्त्र विषय में आपका पंजीयन दिनांक 11.02.2022 से निम्नानुसार किया जाता है-

1. शोध विषय का शीर्षक : पण्डो जनजाति में सामाजिक संगठन (सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में)
2. शोध निर्देशक : डॉ. मुकुल रंजन गोयल, प्राध्यापक समाजशास्त्र शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. शोध केन्द्र : शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
4. पंजीयन/नामांकन क्रमांक : पी-एच.डी./समाजशास्त्र/2022/25

टीप :-

1. आपको विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 42 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा तथा समय समय पर होने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. आपको छः माह के अन्तराल में शोध निर्देश के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में प्रगति प्रतिवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी। निरन्तर दो छःमाही प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये जाने अथवा एक वर्ष की प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शोध पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
3. शोधार्थी को शोधकार्य के दौरान अपने शोध केन्द्र में कम से कम 300 दिवस (प्री.पी-एच.डी. कोर्स वर्क को छोड़कर) की उपस्थिति दर्ज होना आवश्यक होगा।
4. शोधार्थी का शोध कार्य पूर्ण होने के पूर्व 01 शोध पत्र रेफ्रिड रिसर्च जर्नल में प्रकाशित होना तथा कम से कम 02 शोध पत्र नेशनल कान्फ्रेंस/संगोष्ठी में प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने निर्देशक के माध्यम से करना होगा। अपने पत्र में विषय एवं शोध पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
6. शोधार्थी को अपने प्रकाशित होने वाले शोध पत्र में इस विश्वविद्यालय के शोध छात्र होने का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

Sd—
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

क्रमशः 02

पृ. क्रमांक/1008/अकादमिक/शोध/2022

अम्बिकापुर, दिनांक 30.6.2022

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. शोध निर्देशक - डॉ. मुकुल रंजन गोयल, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. प्राचार्य, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) की ओर भेजकर अनुरोध है कि शोधार्थी के संबंध में अध्यादेश प्रावधानों के तहत तिथिवार जानकारियां संकलित रखने की व्यवस्था करें ताकि आवश्यकतानुसार उनको प्राप्त किया जा सके।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
4. कार्यालयीन नस्ती।


समन्वयक (पीएच.डी.)